

162



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 176452



फोटो श्रीमती राधा पारवानी

फोटो श्री सुशील कुमार कटियार



*प्रस्तुत*  
*आवेद*  
*A.W.* 03-06-09  
**Anil Kumar Soni**  
Reg. No. 4654/91 Advocate  
Ch.-66, Shatabdi Adhivakta Bhawan  
IInd Floor Civil Court Compound, Kanpur

*प्रस्तुत*  
*आवेद*  
*A.W.* 03-06-09  
**Anil Kumar Soni**  
Reg. No. 4654/91 Advocate  
Ch.-66, Shatabdi Adhivakta Bhawan  
IInd Floor Civil Court Compound, Kanpur

कार्यालय : श्रीमान उपनिबन्धक, जोन-2, कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक : 04-06-2009
2. निष्पादन दिनांक : 03-06-2009
3. प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता: श्रीमती राधा पारवानी, वयस्क, पत्नी श्री मोहनलाल पारवानी, निवासी भवन संख्या 8, आनन्द विला, 4/283, पार्वती बागला रोड कानपुर नगर।

*Radha Parwani*

*Shushil Kumar*

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL कानपुर नगर

भारत

-2 JUN 2009

₹.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 176453


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

4. लेखपत्र का प्रकार : विक्रयपत्र
5. प्रतिफल राशि : 10,50,000/- रुपया
6. बाजारी/सरकारी मूल्य : 23,95,000/- रुपया
7. विक्रेता का नाम व पता : श्रीमती राधा पारवानी, वयस्क, पत्नी श्री मोहनलाल पारवानी, निवासी भवन संख्या 8, आनन्द विला, 4/283, पार्वती बागला रोड कानपुर नगर।
8. क्रेता का नाम व पता : मा० अभिषेक कटियार, अवयस्क, आयु 10 वर्ष, पुत्र श्री सुशील कटियार, द्वारा नैसर्गिक संरक्षक पिता श्री सुशील कटियार, वयस्क, पुत्र श्री रामकृष्ण कटियार निवासी भवन संख्या 112/216, काकादेव, कानपुर नगर।

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 176454

3

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1. स्थान : ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर।
2. खाता खतौनी क्रम संख्या : 00282
3. आराजी नम्बर : संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पश्चिम तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर।
4. विक्रीत क्षेत्रफल : 0.479 हेक्टेयर
5. प्रयोजन : कृषि

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 176455

4

6. सीमा में सड़क : लिंकमार्ग
7. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
8. सिंचाई का साधन : प्राकृतिक वर्षा व समीप स्थित अन्य का नलकूप
9. आराजी संख्या 370 के विक्रीत 1/2 भाग की चतुर्दिक सीमाएं
- उत्तर : कृषि भूमि आराजी संख्या-362
- दक्षिण : लिंकरोड
- पूरब : कृषि भूमि आराजी संख्या-370 का जुज भाग
- पश्चिम : कृषि भूमि आराजी संख्या-363

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1. जिलाधिकारी दर भूमि : रूपया 50,00,000/- प्रति हेक्टेयर
2. भूमि का मूल्य : रूपया 23,95,000/-
3. जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प : रूपया 1,67,650/-
4. अदा किया गया स्टाम्प : रूपया 1,67,700/-

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 176456

5

विशेष : वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं लायी जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकड़ों में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है। विक्रीत कृषि भूमि सर्किल दर सूची में अर्द्धनगरीय ग्रामों की श्रेणी-‘क’ के ग्रामों के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। विक्रीत कृषि भूमि का अन्तरण कृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई कूप, नलकूप, वृक्ष या निर्माण नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग / अन्तर्राज्यीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि लिंकमार्ग के किनारे स्थित है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पक्षगण अनुसूचित जाति / जनजाति के नहीं हैं। विक्रीत भूमि सीलिंग, गाँव सभा या भूदान से पट्टे पर प्राप्त की हुई नहीं

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694990

6

है और सीलिंग से सीमाधिक्य भूमि घोषित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि के 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर की भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता द्वारा उपरोक्त आराजी भूमि में अपने सम्पूर्ण अंश का विक्रय किया जा रहा है। अब उक्त आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश शेष नहीं रह गया है।

### विक्रयपत्र

यह विक्रयपत्र आज कानपुर नगर में :-

श्रीमती राधा पारवानी, वयस्क, पत्नी श्री मोहनलाल पारवानी, निवासी भवन संख्या 8, आनन्द विला, 4/283, पार्वती बागला रोड कानपुर नगर; जिन्हें इस

*Radha Parmani*

*Shushil Kumar*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694991

7

विलेख में आगे शब्द "प्रथमपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

..... विक्रेता/प्रथमपक्ष

एवम्

माता अमिषेक कटियार, अवयस्क, आयु 10 वर्ष, पुत्र श्री सुशील कटियार, द्वारा नैसर्गिक संरक्षक पिता श्री सुशील कटियार, वयस्क, पुत्र श्री रामकृष्ण कटियार निक्कसी भवन संख्या 112/216, काकादेव, कानपुर नगर; जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द "द्वितीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

..... क्रेता/द्वितीयपक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया।

Radhika Parvati Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694992

8

विदित हो कि प्रथमपक्ष संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पश्चिम तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर की स्वामी मालिक, काबिज व दखील हैं तथा उसका नाम भी राजस्व अभिलेखों में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है और उसे उक्त वर्णित कृषि भूमि के बावत समस्त प्रकार के हक मालिकाना हासिल हैं।

यह भी विदित हो कि उपरोक्त कृषि भूमि के अब्बलन मालिक कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राजाराम पाण्डेय थे जिन्होंने उपरोक्त भूमि को जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 07-03-2003 ईस्वी रघुनाथ सिंह यादव पुत्र श्री

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694131

9

कालीचरन यादव निवासी 68-1-ए पुराना शिवली रोड कल्यानपुर कानपुर नगर को विक्रय कर दिया जिस विक्रयपत्र का पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्ध के जोन नम्बर-2 कानपुर नगर में दिनांक 07-03-2003 ईस्वी को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या-1 खण्ड 2376 के पृष्ठ संख्या 291 से 320 पर प्रलेख संख्या 875 के रूप में को हुआ है। इस प्रकार उक्त रघुनाथ सिंह यादव उक्त कृषि भूमि के स्वामी हुए, और उनका नाम उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में पूर्व स्वामी के स्थान पर बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त रघुनाथ सिंह यादव ने उपरोक्त कृषि भूमि को जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 22-11-2006 ईस्वी श्रीमती राधा पारवानी (विक्रेता) को विक्रय कर दिया जिस विक्रयपत्र का पंजीकरण

*Radha Parvanni*

*Shushil Kumar*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694132

10

कार्यालय उपनिबन्धक जोन नम्बर-2 कानपुर नगर में दिनांक 22-22-2006 ईस्वी को बही संख्या-1 जिल्द 3444 के पृष्ठ संख्या 221 से 260 पर प्रलेख संख्या 4261 के रूप में हुआ है। इस प्रकार विक्रेता उपरोक्त कृषि भूमि की स्वामी हुई। तत्पश्चात उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर विक्रेता का नाम न्यायालय नायब तहसीलदार बिदूर कानपुर नगर के द्वारा वाद संख्या 381/06 श्रीमती राधा पारवानी बनाम रघुनाथ सिंह में पारित आदेश दिनांक 27-01-2007 के द्वारा पूर्व स्वामी रघुनाथ सिंह यादव के नाम के स्थान पर बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर स्वामी, राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जा चुका है।

Radha Parwani Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694133

11

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष के कब्जे व स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रथमपक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सह-स्वामी या हिस्सेदार नहीं है और जो कि आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है, कहीं किसी प्रकार बन्धक व विक्रय व दान व मुस्तगरक बजमानत व इक्वीटेबिल मार्टगेज आदि नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्धसरकारी विभाग में विचाराधीन नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि किसी डिक्री या इजराय में कुर्क व बरसरे नीलाम नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय आदि करने से प्रथमपक्ष को आज दिन तक किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा रोका या मना नहीं किया गया है और

Radha Parwan

Shweta Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694886

12

उक्त वर्णित कृषि भूमि आज दिन तक किसी सरकारी संस्था द्वारा अर्जित या अधिग्रहीत आदि नहीं की गयी है और उसमें कोई समस्या सेल्स टैक्स या इन्कम टैक्स या बैंक लोन आदि की भी नहीं है तथा प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। यदि उपरोक्त लिखित कथन के विपरीत कोई तथ्य पाये जावें या कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जावे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

यह भी विदित हो कि वर्तमान समय में प्रथमपक्ष को अपनी निजी व व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की त्वरित आवश्यकता है, और बिना विक्रय किये हुए आराजी कृषि भूमि उपरोक्त, प्रथमपक्ष को धन की प्राप्ति का अन्य कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए प्रथमपक्ष ने अपने कब्जे

Radha Pawani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694887

13

व स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि उपरोक्त को विक्रय करना निश्चय किया और इस बावत प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के विक्रय की वार्ता जनमानस में प्रारम्भ की और उसके हर प्रकार से पाक व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा दिलाया, जिस पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को मुबालिग 10,50,000/- रुपये में क्रय करना स्वीकार किया है। द्वितीयपक्ष द्वारा प्रस्तावित विक्रयमूल्य उक्त वर्णित कृषि भूमि को देखते हुए बाजारी मूल्य के अनुरूप होने के कारण प्रथमपक्ष को सहर्ष स्वीकार है।

अतः प्रथमपक्ष ने अपने स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि, संक्रणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पश्चिम तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित

Radha Pawani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 968495

14

ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर (जिसका सम्पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमाएं इस विलेख के प्रारम्भ में वर्णित हैं तथा जिसे आगे इस विलेख में शब्द "विक्रीत कृषि भूमि" कहा गया है) जिसको इस विलेख के साथ संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, को समस्त स्वामित्वाधिकार व सुखाधिकार सहित मुबलिग 10,50,000/- रुपये में द्वितीयपक्ष के हक में कतई तौर पर विक्रय कर दिया और द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य इस विलेख के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार स्वामित्वपूर्ण वास्तविक कब्जा व दखल द्वितीयपक्ष का करा दिया है। आज की तारीख से द्वितीयपक्ष विक्रीत कृषि भूमि की एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर, काबिज व दखील हो गया है तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि को अपनी

Radha Pawan

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 968496

15

इच्छानुसार प्रयोग करे और आवश्यकतानुसार कृषि उपज, बन्धक व विक्रय अदि से लाभान्वित हो। आज से प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्न का विक्रीत कृषि भूमि के सम्पूर्ण भाग में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अधिकार या कब्जा नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत कृषि भूमि के हर प्रकार से साफ व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा द्वितीयपक्ष को दिला दिया है और इसी विश्वास पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि क्रय की है। यदि प्रथमपक्ष के स्वामित्व में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि पाये जावे या अन्य किसी कारणवश द्वितीयपक्ष के स्वामित्व, कब्जा, दखल व अधिकार से विक्रीत कृषि भूमि का सम्पूर्ण या आंशिक भाग निकल जाये या उसको आज

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 803199

16

के पूर्व के किसी ऋण आदि की अदायगी करनी पड़े या स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद लड़ना पड़े या इस विक्रयपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाये जाये तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि अपना सम्पूर्ण या आंशिक विक्रयमूल्य हर्जा-खर्चा, ब्याज व वह धन जो द्वितीयपक्ष ने उस पर खर्च किया हो, इत्यादि सहित, जैसी भी स्थिति हो, प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा अथवा जैसे चाहे, वसूल कर लेवे। इसमें प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न तो अभी है और न ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा।

यह भी विदित हो कि द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार है कि वह

*Radha Parwan*

*Shushil Kumar*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 933561

17

विक्रीत कृषि भूमि उपरोक्त पर अंकित प्रथमपक्ष का नाम पृथक कराकर, उसके स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम, इस विक्रयपत्र के आधार पर, तहसील के राजस्व अभिलेखों व अन्य आवश्यक अभिलेखों में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित करवा लें। प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति इस विक्रयपत्र द्वारा मान्य होगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रथमपक्ष प्रथक से सहमति व स्वीकृति शपथपत्र आदि, हस्ताक्षरित कर दे देंगा। इस विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है। यह विक्रयपत्र प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों व प्रतिनिधियों व स्थानापन्न पर पूर्ण रूप से मान्य/प्रभावी होगा।

Radha Parwani

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 933562

18

विवरण सम्पत्ति

संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पश्चिम तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर जिसकी चतुर्दिक सीमायें निम्नलिखित हैं :-

- उत्तर : कृषि भूमि आराजी संख्या-362
- दक्षिण : लिंकरोड
- पूरब : कृषि भूमि आराजी संख्या-370 का जुज भाग
- पश्चिम : कृषि भूमि आराजी संख्या-363

Radha Parvoni

Shushil Kumar

2093  
श्री/श्रीमती .....  
पुत्र/पत्नी .....  
पेशा .....  
निवासी .....  
दिनांक .....

भनीष कुमार/राधा किरण  
सिविल कोर्ट, फाजिल्हा-नगर  
लाइसेन्स नं० 59/07

03 JUN 2009



विक्रय पत्र

1,050,000.00/ 2,395,000.00

5,000.00 50 5,050.00 2,500

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत  
श्री/श्रीमती राधा पारवानी  
पुत्र/पत्नी श्री मोहन लाल पारवानी  
पेशा गृहिणी  
निवासी स्थायी 8आनन्द विला 4/283 पार्वती बागला रोड कानपुर  
अस्थायी पता  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4/6/2009 समय 1:54PM  
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Radha Parvami



मानवेन्द्र शास्त्री  
उप निबन्धक (जोन-2)  
कानपुर नगर।  
4/6/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता Radha Parvami  
श्री/श्रीमती राधा पारवानी  
पुत्र/पत्नी श्री मोहन लाल पारवानी  
पेशा गृहिणी  
निवासी 8आनन्द विला 4/283 पार्वती बागला रोड  
कानपुर



क्रेता  
श्री/श्रीमती अभिषेक कटियार नाबालिग द्वारा पिता  
सरंशक-सुशील कटियार Shushil Kumar  
पुत्र/पत्नी श्री रामकृष्ण कटियार  
पेशा व्यापार  
निवासी 112/216 काकादेव कानपुर




ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री हाकिम सिंह  
पुत्र श्री स्व० प्रयाग सिंह  
पेशा व्यापार

निवासी सिंहपुर कछार कानपुर

व श्री नवीन परवानी  
पुत्र श्री एम० ए० परवानी  
पेशा व्यापार  
निवासी 4/283 पार्वती बागला रोड कानपुर  
ने की।

Navin Parvami



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मानवेन्द्र शास्त्री  
उप निबन्धक (जोन-2)  
कानपुर नगर।  
4/6/2009

विवरण प्राप्त विक्रयमूल्य 10,50,000/- रूपया

(शब्देन दस लाख पचास हजार रूपया मात्र)

प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य मुबलिग 10,50,000/- रूपया जरिए चेक संख्या 158554 दिनांकित 02-06-2009 सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा शास्त्री नगर कानपुर द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में कोई धन प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से प्राप्त करना शेष नहीं है।

अतः पक्षगणों ने अपने अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, मस्तिष्क तथा इन्द्रियों की सही दशा में अपनी राजी खुशी से, बिना किसी जोर दबाव नाजायज के, सुनकर व समझकर यह विक्रयपत्र समक्ष साक्षीगण निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

निशानात पंजा क्रमशः बायां व दायां विक्रेता श्रीमती राधा पारवानी :-

1. अंगुष्ठा



2. तर्जनी



3. मध्यमा



4. अनामिका



5. कनिष्ठा



1. अंगुष्ठा



2. तर्जनी



3. मध्यमा



4. अनामिका



5. कनिष्ठा



Radha Parwani

Shushil Kumar

विक्रेता

Registration No 1629

Year : 2009

Book No. 1

0101 राधा पारवानी

मोहन लाल पारवानी

8आनन्द विला 4/283 पार्यती बागला रोड कानपुर

गृहिणी



निशानात पंजा क्रमशः बायां व दायां क्रेता-नैसर्गिक संरक्षक श्री सुशील कटियार :-

1. अंगुष्ठा

2. तर्जनी

3. मध्यमा

4. अनामिका

5. कनिष्ठा

1. अंगुष्ठा

2. तर्जनी

3. मध्यमा

4. अनामिका

5. कनिष्ठा

हस्ताक्षर गवाहान

1.

नाम होनाम सिंह  
पुत्र होनाम सिंह  
निवासी सिंह 6/05/11  
कानपुर नगर

2.

नाम : Navin Parwani  
पुत्र : Shri M.L. PARWANI  
निवासी : 4/283, Farwati Bagle Rd  
Kanpur

यह विलेख मेरे द्वारा निरूपित एवं मेरे कार्यालय में टंकित किया गया।

Anil Kumar Soni  
(अनिल कुमार सोनी)  
एडवोकेट

कक्ष संख्या 66 द्वितीयतल,  
शताब्दी अधिवक्ता भवन,  
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर।

**Anil Kumar Soni**  
Reg. No. 4/91 Advocate  
Ch. 66, Shatabdi Adhivakta Bhawan  
1st Floor Civil Court Compound Kanpur

हस्ताक्षर विक्रेता / प्रथमपक्ष

Radha Parwani  
(श्रीमती राधा पारवानी)

हस्ताक्षर क्रेता / द्वितीयपक्ष

Shushil Kumar  
(श्री सुशील कटियार)  
नैसर्गिक संरक्षक

क्रेता

Registration No. 1629

Year : 2009

Book No. 1

0201 अभिवेक कटियार नाबालिग द्वारा पिता सरंक्षक-सुशील कटियार  
रामकृष्ण कटियार  
112/218 काकादेव कागपुर  
प्यार



नामगा नजरी कृषि भूमि आराजी

कठनर ३६० भांडे मौजा सिंदपुर कछार W

पगना न तहसील कानपुर सदर

निवा - कानपुर नगर

विकीत आराजी कृषि भूमि कठनर - उरुवा

३६०


- ०.४४८ हेक्टेयर का १/२

विभाजित मात्र जामिन पहिनाय से ०.४६८ हेक्टेयर



Radhha Parwani  
कठनर सिंदपुरा

नामगा नजरी कृषि भूमि




कठनर सिंदपुरा

Shushil Kumar

N. S. P. Raipalli  
Architectural Asstt.  
107-C, Mangla Vihar-8  
New P. A. C. Lane  
Lucknow, U.P.

आज दिनांक 04/06/2009 को  
बही सं 1 जिल्द सं 4157  
पृष्ठ सं. 159 से 200 पर क्रमांक 1629  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

  
मानवेन्द्र शास्त्री  
उप निबन्धक (जोन-2)  
कानपुर नगर ।  
4/6/2009





BHULEKH  
Uttar Pradesh

## खाला विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सिंहपुर कछार परगना : (कानपुर सदर) तहसील : कानपुर सदर जनपद : कानपुर नगर फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाला संख्या : 00599

खाला का नाम / गिरा प्रति संख्या का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हे.)

अंश

टिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संकमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

सूचीकटियार / रामकृष्ण कटियार / नि0112/216काकटिव कानपुर

370भि

0.4790

1427क अंश न्यायलय असि0कले10प्र020/अभिलेखिकारी सदर कानपुर नगर वाद सं0 टी201903410115657 ता0के0 17/09/2019 के अनुसार तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक-09.09.2019 के आधार पर ग्राम सिंहपुर कछार तहसील सदर कानपुर नगर के खाला संख्या 599 की आरजी संख्या 370भि/0.4790हे0 जो श्री सुशील कटियार पुत्र रामकृष्ण कटियार निवासी 112/216 काकटिव कानपुर नगर के नाम दर्ज अभिलेख है, को 30प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित की धारा 80 के तहत अंकुशिक घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भू-राजस्व की दृष्टि से की जा रही है यदि उक्त भूमि के0डी0ए0 द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो यह आदेश के0डी0ए0 के महायोजना के निहित प्रयोजन के अधीन होगा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। मानचित्र विधिवत पास कराये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। सख्तम प्राधिकारी(प्राधिकरण/नगर निकाय/लोक निर्माण आदि) द्वारा मानचित्र पास किये बिना/अनापत्ति प्रमाणन प्राप्त किये बिना यदि कोई निर्माण आदि किया जाता है तो सख्तम प्राधिकारी अपनी ओर से विधिक कार्रवाई किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक: 09.09.2019 अंश का अभिन आं शेगी। पत्रांता क्र0 15137/07/11/2019

योग

1

0.4790

कृपया उक्त खसरे की प्रतियति (भूखंड (गाटा) के बाद प्राप्त विवरण/भू-नक्शा/नामानंरण वाली) हेतु खसरा संख्या पर नितिक करें

Disclaimer: उक्त आदेश धार अनारंभनाई है, उक्त विवरण अचल है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.जी/लोकलपी केन्द्र से खसरा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

